संख्या–बी–1–346 / दस–2017
(नगर विकास अनुभाग–9 पत्रा. सं–18ज / 2017)

प्रेषक,

लहरी यादव,
वित्तीय सलाहकार (बजट) एवं विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

मुख्य कोषाधिकारी,
आदर्श कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ ।

वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 लखनऊ:: दिनांक::09 मार्च, 2017

विषयः– उत्तर प्रदेश नगर पालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड के देयकों के आहरण विषयक।

महोदय,

नगर विकास अनुभाग–9 की अधिसूचना संख्या–983 / नौ–9– 2016–80ज–2011 दिनांक 17 अगस्त, 2016 द्वारा उत्तर प्रदेश नगर पालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड (प्रक्रिया का विनियमन एवं इसके कृत्यों का निष्पादन) नियमावली–2016" प्रख्यापित की गई है।

2– उक्त के संदर्भ में प्रशासकीय विभाग से प्राप्त प्रस्ताव के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश नगर पालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड के देयकों के आहरण हेतु वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के संलग्न शासनादेश संख्या–बी–1–716 / दस–2012–एम–53 / 2011, दिनांक 09 अप्रैल, 2012 में दी गयी व्यवस्थानुसार बोर्ड द्वारा प्रस्तुत देयक को प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किये जाने पर देयकों का आहरण, स्वायत्तशासी संस्थाओं को देय अनुदान के देयकों के आहरण की भांति किया जायेगा। इसके लिये कोषागार स्तर से संस्था को कोड संख्या–6000 से 7999 के मध्य एक कोड आवंटित कर दिया जाय। संस्था द्वारा प्रस्तुत देयक प्रपत्र के क्रमांक–12 पर डी.डी.ओ. कोड के स्थान पर संस्था को आवंटित कोड अंकित किया जायेगा ताकि महालेखाकार कार्यालय के स्तर पर उसका सही पुस्तांकन एवं लेखामिलान सम्भव हो सके।

कृपया उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय

(लहरी यादव)
वित्तीय सलाहकार (बजट)
एवं विशेष सचिव।

संख्या–बी–1–346(1) / दस–2017, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि नगर विकास अनुभाग–9, उत्तर प्रदेश शासन को इस आशय से प्रेषित कि वे अपने स्तर से उत्तर प्रदेश नगर पालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड द्वारा प्रस्तुत देयकों को प्रतिहस्ताक्षरित किये जाने हेतु किसी राजपत्रित अधिकारी को प्राधिकृत करते हुए, कोषागार द्वारा बोर्ड को आवंटित कोड पर ऑनलाईन बजट का आवंटन करें।

आज्ञा से,

(लहरी यादव)
वित्तीय सलाहकार (बजट)
एवं विशेष सचिव।

कृ.पृ.उ.

संख्या–बी–1–346(2)/दस–2017, तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि निम्न को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1 महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

2 सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, नगर विकास विभाग।

3 निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

4 सचिव, उ0प्र0 नगर पालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड, गोमतीनगर लखनऊ ।

5 निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

6 निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ ।

7 विभागीय आदेश पत्रावली।

आज्ञा से,

(लहरी यादव)
वित्तीय सलाहकार (बजट)
एवं विशेष सचिव।

संख्या–बी–1–716/दस–2012–एम–53/2011

प्रेषक,

डा. बी.एम. जोशी,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 लखनऊ: दिनाँक: 09 अप्रैल, 2012

विषयः– शासन द्वारा राज्य की स्वायत्तशासी संस्थाओं/परिषदों/निगमो को स्वीकृत धनराशि के देयकों के आहरण के संबंध में दिशा–निर्देश।

महोदय,

विभिन्न विभागों द्वारा राज्य की स्वायत्तशासी संस्थाओं/परिषदों/निगमों आदि को अनुदान/अंशपूंजी/ऋण आदि के रूप में स्वीकृत धनराशि को आहरित करने के लिए आहरण एवं वितरण अधिकारी नामित किये जाने के प्रस्ताव वित्त विभाग को सन्दर्भित किये जाते हैं तथा कई प्रकरणों में शासन द्वारा अनुदानित संस्थाओं के देयकों को कोषागार से आहरित करते समय प्रतिहस्ताक्षर हेतु प्राधिकृत अधिकारी द्वारा देयकों पर उन्हें आबंटित डी.डी.ओ. कोड संख्या अंकित की जाती है जिससे संस्था के पक्ष में आहरित किये जाने वाले बिल की धनराशि भी प्रतिहस्ताक्षरकर्ता प्राधिकारी के नाम लेखों में पुस्तांकित हो जाती है जिससे नियंत्रक अधिकारी को लेखा मिलान में कठिनाई होती है।

2– स्वायत्तशासी संस्थाओं/परिषदों/निगमो को शासन द्वारा आहरण एवं वितरण अधिकार नहीं दिया जाता है वरन् उक्त संस्थाओं को अनुदान/अंशपूंजी/ऋण आदि के रूप में स्वीकृत धनराशि का आहरण, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 के प्रस्तर–209 व 209–ए के अनुसार, धनराशि की स्वीकृति संबंधी शासनादेश में प्राधिकृत अधिकारी अथवा स्वीकृति जारी करने वाले अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किये जाने पर कोषागार द्वारा बिल पारित किया जाता है।

3– अतः उपरोक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य की स्वायत्तशासी संस्थाओं/परिषदों/निगमों आदि को, शासन द्वारा अनुदान/अंशपूंजी/ऋण आदि के रूप में स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु संबंधित कोषागार द्वारा सेल्फ डी.डी.ओज की भाँति कोषागार स्तर पर संस्था के नाम कोड संख्या 6000 से 7999 के मध्य चार अंकों का एक कोड आवंटित कर संस्था को लिखित रूप से कोषागार द्वारा सूचित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु संस्था द्वारा कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले देयक पर कोषागार द्वारा आवण्टित चार अंको का कोड देयक के क्रमॉक–12 पर डी.डी.ओ. कोड के स्थान पर अंकित किये जाने तथा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किये जाने पर कोषागार द्वारा संस्था को स्वीकृत धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

4– कृपया सम्बन्धित विभागों/कार्यालयों तथा कोषागारों एवं संस्थाओं द्वारा उपरोक्त प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

भवदीय,

(बी.एम. जोशी)
सचिव।

DDO code178

संख्या बी-1-716(1)/दस-2012-एम-53/2011, तददिनॉक

प्रतिलिपि निम्न को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. **महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।**
2. **निदेशक कोषागार, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।**
3. **निदेशक वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, उत्तर प्रदेश जवाहर भवन, लखनऊ।**
4. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी उत्तर प्रदेश ।

आज्ञा से,

(लहरी यादव)
वित्तीय सलाहकार (बजट)
एवं विशेष सचिव।

DDO code179